

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर


क्रमांक :-लेखा एवं वित्त-III/2025/ 691

दिनांक :- 18-8-25

परिपत्र

दिनांक 1.1.2004 के पश्चात नियुक्त समस्त स्थायी/ नियमित कार्मिकों हेतु राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों ने अब तक RGHS में पंजीकरण नहीं करवाया है। वे अपना आवेदन पत्र 20.08.2025 तक अनिवार्य रूप से मेडिकल अनुभाग में प्रस्तुत कर दे। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।


(सुमेर सिंह)


वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :-लेखा एवं वित्त-III/ मेडिकल /2025 692-750

दिनांक : 18-8-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/कॉमर्स/विधि महाविद्यालय, (प्रातः एवं सांय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलगुरु महोदया/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द कुमार शर्मा)
उप-कुलसचिव